

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 124/2023

दिनांक :- 7/6/2023

प्रेषिति :-

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :- प्रकरण संख्या 124/2023 पत्थरगढी बाबत ।

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

हीरालाल पिता ख्याली लाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

सुगनलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम जोलास पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 197 पर अंकित आराजी नम्बर 589/462 कुल किता 01 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु-अभिनिरक्षिक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 500/रु की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पूर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सुचित करते हुये पत्थरगढी करे। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 124/2023

दिनांक : 7/6/2023

हीरालाल पिता ख्याली लाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

सुगनलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 7/6/2023

प्रार्थना पत्र मैं हीरालाल पिता ख्याली लाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम जोलास पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 197 पर अंकित आराजी नम्बर 589/462 कुल किता 01 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाईं झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 500/रु की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किय मौजा ग्राम जोलास पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 197 पर अंकित आराजी नम्बर 589/462 कुल किता 01 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां, भीलवाड़ा